न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा, आर.ए.एस.

एफ एस प्रकरण संख्या 03/2019

प्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी
1. श्री मालाराम राणेजा पुत्र श्री पुनाराम राणेजा (एफबीओ/विक्रेता) फर्म–मैसर्स–महर्शि गौतम जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड, बालेसर सत्ता, जिला जोधपुर । निवासी–एम0एल0 वाटिका, बालेसर सत्ता, जिला जोधपुर ।
2. श्रीमति राधा देवी पत्नि श्री आशकरण जाती ब्राहम्ण (थोक एफबीओ/मालिक) फर्म–मैसर्स–रिद्धी सिद्धी ट्रेडर्स, 12, वीर सावरकर ब्लोक, मण्डोर मण्डी, जोधपुर । निवासी– नरसिंह जी की प्याउ, माता का थान, मगरा पुंजला, जोधपुर, मूल निवासी– 96, मेघवालो को बास, वार्ड संख्या 09, देशनोक, जिला बिकानेर

–:आदेश :– दिनांक :–17.05.2019

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 09.08.2018 को रजनीश शर्मा बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म मैसर्स–महर्शि गौतम जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड, बालेसर सत्ता, जिला जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान घी (मधुसागर) एंव अन्य किराणा सामान आदी आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त घी (मधुसागर) 1 लिटर. के 4 पैकेट्स वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 1320/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।

खरीदशुदा घी(मधुसागर) 1 लिटर. 4 पैकेट्स पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम– 1859 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम– 1859 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम– 1859 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही

मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि घी (मधुसागर) के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1859 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/591/एक्ट/2018/610 दिनांक 16.08.2018 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी (मधुसागर) का नमूना जांच रिपोर्ट मे Reichert Value Minimum 28.0 होने के स्थान पर 26.64 होने कारण निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform) होना पाया गया।

अप्रार्थी संख्या 01 एंव 02 के द्वारा निर्धारित अवधि में पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नही किया गया एंव अप्रार्थी संख्या 02 कोई प्रत्योत्तर/निर्देशो की पालना नही की एंव आगामी खरीद हेतु इनवोईस प्रस्तुत नही किया गया जो की एफएसएस एक्ट 2006 एंव 2011 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) (v) एंवम धारा 27(2)(डी) का उल्लघंन किया है जो धारा 51 एंव धारा 55 एंव धारा 58 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है।

अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्राथी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 के पति दिनांक 10.04.2019 को उपस्थित हुए तथा मौखिक में कथन किया कि वह जवाब हेतु समय चाहते है लेकिन उन्होनें आंदिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया और न उपस्थित हुए। अतः एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हमने प्रकरण में प्रार्थी विभागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद का अध्ययन किया। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि अप्रार्थी फर्म मैसर्स–महर्शि गौतम जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड, बालेसर सत्ता, जिला जोधपुर दिनांक 09.08.2018 को वक्त जांच के दौरान खाद्य पदार्थ घी (मधुसागर) विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक स्तर का शक होने पर इसकी जांच हेतु सैम्पल लिए गए, जो पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, जोधपुर, राजस्थान को भेजा गया था, उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 16.08.2018 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी (मधुसागर) का नमूना जांच रिपोर्ट मे Reichert Value Minimum 28.0 होने के स्थान पर 26.64 होने कारण निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform) होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एंव 2011 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) (v) एंवम धारा 27(2)(डी) का उल्लघंन किया है

जो धारा 51 एंव धारा 55 एंव धारा 58 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थय की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

—:आदेश:—

पत्रावली, एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 610 दिनांक 16.08.2018 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्राथी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एंव 2011 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) (v) एंवम धारा 27(2)(डी) का दोषी हैं। अप्राथी संख्या 1 मालाराम राणेजा पुत्र श्री पुनाराम राणेजा पर पर शास्ती रूपये 10000/— अक्षरे रूपये दस हजार की आरोपित की जाती हैं तथा अप्राथी संख्या 2 श्रीमति राधा देवी पत्नि श्री आशकरण पर शास्ती रूपये 25000/— अक्षरे रूपये पच्चीस हजार की आरोपित की जाती है। अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर—अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।

प्रतिलिपीः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—
क्रमांकः कोर्ट/एडीएम(प्रथम)/2019/ दिनांक :—
प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. श्री मालाराम राणेजा पुत्र श्री पुनाराम राणेजा (एफबीओ/विक्रेता) फर्म—मैसर्स—महर्शि गौतम जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड, बालेसर सत्ता, जिला जोधपुर । निवासी—एम0एल0 वाटिका, बालेसर सत्ता, जिला जोधपुर।
4. श्रीमति राधा देवी पत्नि श्री आशकरण जाती ब्राहम्ण (थोक एफबीओ/मालिक) फर्म—मैसर्स—रिद्धी सिद्धी ट्रेडर्स, 12, वीर सावरकर ब्लोक, मण्डोर मण्डी, जोधपुर । निवासी— नरसिंह जी की प्याउ, माता का थान, मगरा पुंजला, जोधपुर, मूल निवासी— 96, मेघवालो को बास, वार्ड संख्या 09, देशनोक, जिला बिकानेर

(मदनलाल नेहरा)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।